

मध्य प्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल

// आदेश //

भोपाल, दिनांक : 29.06.2009

क्रमांक- एफ-19/89/2009/1/4 : इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ-19-92/2003/03/01/4, भोपाल, दिनांक 01 अगस्त, 2003 द्वारा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के अधीन गठित की गई शिखर समिति का पुनर्गठन राज्य शासन द्वारा निम्नानुसार किया जाता है :-

1.	मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन	-	अध्यक्ष
2.	प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, भोपाल।	-	सदस्य सचिव
3.	प्रमुख सचिव/सचिव, मध्य प्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।	-	सदस्य
4.	प्रमुख सचिव/सचिव, मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग	-	सदस्य
5.	प्रमुख सचिव/सचिव, मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।	-	सदस्य
6.	प्रमुख सचिव/सचिव, मध्य प्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग	-	सदस्य
7.	प्रमुख सचिव/सचिव, मध्य प्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग।	-	सदस्य
8.	प्रमुख सचिव/सचिव, मध्य प्रदेश शासन, जनसंपर्क विभाग	-	सदस्य
9.	केन्द्रीय पेयजल आपूर्ति विभाग के प्रतिनिधि	-	सदस्य
10.	विषय विशेषज्ञ (तीन)	-	सदस्य
11.	प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	-	सदस्य

1/- शिखर समिति द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण जल प्रदाय कार्यक्रम के दिशा निर्देशों के अनुरूप राज्य में ग्रामीण जल प्रदाय कार्यक्रम के क्रियान्वयन संबंधी मार्गदर्शन दिया जाएगा।

2/ शिखर समिति की बैठक वर्ष में कम से कम 2 बार आयोजित की जायेंगी।



(सुदेश कुमार)

प्रमुख सचिव

मध्य प्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ०कं० एफ-19-89 / 2009 / 1 / 4

भोपाल, दिनांक : 29.06.2009

प्रतिलिपि :-

1. समिति के अध्यक्ष / सदस्यगण / सदस्य सचिव की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
2. प्रमुख सचिव, म०प्र०शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की ओर सूचनार्थ ।
3. मुख्य सचिव, के अपर सचिव, म०प्र०शासन, मंत्रालय भोपाल ।
4. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क (मंत्रालय प्रकोष्ठ) ।  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।



प्रमुख सचिव

मध्य प्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग